उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यटन अनुभाग
संख्या-899/2023/5373/41-2023-C.N.1750604-2023
लखनऊ:: दिनांक 30 नवम्बर, 2023

शुद्धि-पत्र

जनपद अमेठी में मॉ कामाख्या मंदिर पर पर्यटन विकास कार्य हेतु निर्गत शासनादेश सं0-716/2023/4229/41-2023/1750604/2023, दिनांक 09.10.2023 द्वारा धनराशि रू0 129.08 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 103.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। उक्त शासनादेश दिनांक 09.10.2023 के प्रस्तर-2 में अंकित धनराशि रू0 129.08 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के स्थान पर धनराशि रू0 124.08 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्द्वारा अंकित किया जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 09.10.2023 उक्त सीमा तक संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र सं0-5913/6-1-1(169)/2023-24, दिनांक 07.11.2023 के सन्दर्भ में।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. जिलाधिकारी, अमेठी।
6. विशेष सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0।
9. निदेशक, ललितकला अकादमी, लखनऊ ।
10. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
11. उप निदेशक, पर्यटन (राज्य योजना), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-5, 7, 8, 10 व 12 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
12. उप निदेशक, पर्यटन, अयोध्या/देवीपाटन मण्डल, अयोध्या ।
13. संस्कृति अनुभाग, उ0प्र0 शासन ।
14. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
15. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in